



पूरी में
जगन्नाथ...
पेज
2

web: www.atulyasansar.com

आपकी खबरों का संसार...

RNI No.-RJHIN/2015/63826

अतुल्य संसार

संस्करण:
जयपुर

हिन्दी समाचार पत्र...

Digital Edition

www.liveworldnews.in

वर्ष: 11

अंक: 03

जयपुर, शुक्रवार 17 जुलाई, 2026

मूल्य: 2 रुपए

पृष्ठ: 4

राजस्थान में 15
हजार...

पेज
3



वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला...

हर जान कीमती

केंद्र-दिल्ली सरकार को आदेश-
रोजाना मेडिकल जांच हो; वांगचुक
19 दिन से भूख हड़ताल पर



नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है। उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी योजना मेडिकल जांच कराने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है। याचिका में जबरन खाना देने के निर्देश देने की मांग भी की गई थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल

तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकारी डॉक्टर वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर उचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उनका वजन 8.9किमी. तक गिर गया है।

**सीजेपी का प्रदर्शन, शिक्षा
मंत्री के इस्तीफे की मांग**



कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वांगचुक भी उनके आंदोलन में शामिल हैं। सीजेपी चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने के बाद बनी थी। सीजेपी ने आरोप लगाया कि छात्रों के लिए आवाज उठाने वाले वांगचुक को सरकार की ओर से सिर्फ खामोशी मिली है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि



सरकार जवाबदेही से बच रही है और उसका रवैया क्रूर है।

**लद्दाख को राज्य बनाने की मांग,
वांगचुक 170 दिन जेल में रहे**

वांगचुक इससे पहले लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 170 दिन तक जोधपुर जेल में रहे। उन पर आरोप था कि अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा हुई, जिसमें 4 लोगों

की मौत और 90 लोग घायल हुए। सरकार ने हिंसा भड़काने का आरोप वांगचुक पर लगाया। इसके दो दिन बाद, 26 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर जेल भेज दिया गया।

**इरोम ने 16 साल तक
अनशन किया**

देश में पहले भी कई नेता और सामाजिक

कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लंबी भूख हड़ताल कर चुके हैं। महात्मा गांधी से लेकर जी.डी. अग्रवाल तक कई लोगों ने अनशन का सहारा लिया। सबसे लंबी भूख हड़ताल का रिकॉर्ड इरोम शर्मिला के नाम है। इरोम शर्मिला ने मणिपुर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हटाने की मांग को लेकर करीब 16 साल (2000-2016) तक भूख हड़ताल की थी। इस दौरान उन्हें जीवित रखने के लिए नाक के जरिए तरल आहार (फोर्स-फीडिंग) दिया जाता था।

**ईसरो के 100 वैज्ञानिकों ने नौकरी
छोड़ी या रिटायरमेंट लिया**

**इनमें गगनयान और दूसरे मिशनों से जुड़े
वैज्ञानिक भी, अब सरकार की सख्ती**



बेंगलुरु। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन के गगनयान और दूसरे अहम मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे और स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति पर अब पहले की तरह आसानी से मंजूरी नहीं मिलेगी। अंतरिक्ष विभाग ने 14 जुलाई को नया निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ग्रुप ए वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे या VRS के आवेदन नियमित प्रक्रिया के तहत स्वीकार नहीं किए जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये निर्देश ऐसे समय आए हैं, जब पिछले 10 महीनों के दौरान 100 से ज्यादा कर्मचारी ISRO छोड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा इस्तीफे बेंगलुरु के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर और तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से हुए हैं। इस्तीफा देने वालों में वरिष्ठ वैज्ञानिक विक्टर जोसेफ टी भी शामिल हैं। वे VSSC में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk III प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। बताया गया है कि उन्होंने फरवरी में इस्तीफा दिया। इससे पहले वे करीब 13 महीने तक LVM3 प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। यही लॉन्च व्हीकल गगनयान मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा।

इस्तीफे पर अंतिम फैसला अंतरिक्ष विभाग करेगा

आदेश में कहा गया है कि इस्तीफों और VRS के मामलों में तेजी आने से गगनयान और दूसरे राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ रहा है। इसलिए नौकरी छोड़ने के आवेदनों पर अब अंतिम फैसला अंतरिक्ष विभाग करेगा। यह निर्देश RSC, VSSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर, स्पेस एप्लिकेशंस सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ISTRAC और मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी समेत कई केंद्रों को भेजा गया है। अब इन केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों, चाहे वे साइंटिस्ट/इंजीनियर-एसजी रैंक का या उससे नीचे के हों, उनका इस्तीफे या VRS के आवेदन केंद्र निदेशक की स्पष्ट सिफारिश के साथ अंतरिक्ष विभाग को भेजे जाएं। अंतिम निर्णय विभाग स्तर पर लिया जाएगा।

**मौलाना का विवादित बयान- श्रीकृष्ण 5 बार
नमाज पढ़ते थे:लखनऊ में FIR, संत बोले-
जीभ काटने वाले को 10 लाख इनाम देंगे**

उत्तर प्रदेश। यूपी में इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्रीकृष्ण पर विवादित बयान दिया है। मौलाना ने कहा, भगवान श्रीकृष्ण धर्म से मुस्लिम थे और दिन में 5 बार नमाज पढ़ा करते थे। अगर योगी राम के बड़े भक्त बनते हैं, अगर वे हमारी किताब पढ़ लें तो इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। मौलाना के बयान वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर आने के बाद हिंदू संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई। लखनऊ में हिंदू महासभा ने मौलाना की तस्वीरों को पैरों से रौंदकर प्रदर्शन किया। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर के लिए शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अयोध्या के संत विष्णु दास ने मौलाना के बयान की निंदा करते हुए कहा- जो कोई मौलाना जर्जिस अंसारी की जीभ काटकर लाएगा, उसे वह 10 लाख रुपये का नकद इनाम देंगे। मौलाना का यह बयान 23 जून का बताया जा रहा है, जो उन्होंने झारखंड में देवघर जिले के लकरबंभा मैदान में आयोजित जलसे में दिया था। मौलाना जर्जिस अंसारी ने कहा- 'हमारे भाई अगर बुघा ना मानें, तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद्भगवत गीता का छठा अध्याय का दसवां मंत्र देख लीजिए।' मौलाना ने दावा किया- श्लोक में कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन!

सुप्रीम कोर्ट बोला-9वीं में तीसरी भाषा का बोझ न डालें

बोर्ड परीक्षा के एक साल पहले बच्चों में तनाव बढ़ेगा, सरकार से कहिए ऐसा न करें

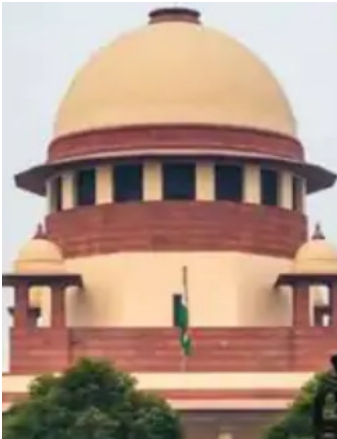
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि CBSE को 9वीं से श्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं करनी चाहिए। 9वीं कक्षा की पढ़ाई पहले से मुश्किल है, ऐसे में तीसरी भाषा को शामिल करने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इससे स्टूडेंट्स का मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भारत सरकार से कहिए कि ऐसा न करें। जस्टिस बीवी नारयणन और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि तीसरी भाषा को क्लास 5 या 6 में ही शुरू कर दिया जाना चाहिए, ताकि छात्र इसके साथ अधिक प्रभावी ढंग से तालमेल बिठा सकें। दरअसल, बेंच तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। तमिलनाडु सरकार JNV में लागू श्री-लैंग्वेज पॉलिसी के पक्ष में नहीं है।

**कोर्ट बोला- तीसरी भाषा
की पढ़ाई 9वीं में बंद हो**

जस्टिस नागरबा ने कहा कि तीसरी भाषा को पढ़ाना 6वीं क्लास में शुरू करना चाहिए और 9वीं में इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं का दबाव कक्षा 8 से ही शुरू हो जाता है। आगे उन्होंने अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताते हुए कहा कि जब मैं स्कूल में थी तब 8वीं के बच्चों को 10वीं की चीजें पढ़ाई जाती थीं। उस वक्त ऐसी हालत थी तो आप समझ सकते हैं आज बच्चों पर कितना बोझ होगा।

**सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु
सरकार से बोली- यह
रवैया न रखें**

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को CBSE की श्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या अंग्रेजी को भारत की स्वदेशी (मूल) भाषा माना जा सकता है। साथ ही इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों को लेकर सरकार और सीबीएसई से 10 दिन में जवाब मांगा है। अब 14 दिन बाद 29 जुलाई



सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के नवोदय विद्यालय शुरू करने के आदेश पर तमिलनाडु सरकार से कहा कि आपके यहां नवोदय विद्यालय होने चाहिए। जस्टिस नागरबा ने कहा कि केंद्र सरकार इसका पूरा खर्च उठाएगी, आपको सिर्फ जमीन उपलब्ध करानी है। यह रवैया न रखिए। लेकिन तमिलनाडु सरकार के अनुरोध के बाद अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

**सुप्रीम कोर्ट का 3 लैंग्वेज
पॉलिसी पर रोक से इनकार**

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को CBSE की श्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या अंग्रेजी को भारत की स्वदेशी (मूल) भाषा माना जा सकता है। साथ ही इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों को लेकर सरकार और सीबीएसई से 10 दिन में जवाब मांगा है। अब 14 दिन बाद 29 जुलाई



को इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल, श्री-लैंग्वेज पॉलिसी मौजूदा 2026-27 सेशन से लागू कर दी गई है। नई पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट्स को 2 भारतीय भाषाएं और एक विदेशी भाषा पढ़नी होगी। ऐसे में उन्हें वे भाषाएं छोड़नी पड़ेंगी, जिन्हें वे क्लास 5 से लगातार पढ़ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है था कि CBSE ने तैयारी के बिना तीन-भाषा नीति लागू कर दी है। स्कूलों में पर्याप्त टीचर, किताबें और जरूरी एकेडमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं हैं, जिससे स्टूडेंट-टीचर को परेशानी हो रही है।

**श्री-लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़े
सवाल-जवाब, जो आपको
जानना जरूरी है**

1. **मामला क्या है?** जवाब: सुप्रीम कोर्ट में CBSE के उस नियम को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें कम-से-कम दो भारतीय भाषाएं होना जरूरी है।

हालांकि, CBSE ने श्री लैंग्वेज पॉलिसी पर 6 जून को यूटर्न लिया और नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक, इस साल 10वीं में पढ़ रहे छात्रों को तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं देनी होगी। 7वीं, 8वीं और 9वीं के वे छात्र, जिन्होंने पहले से दो विदेशी भाषाएं चुनी हैं, वे अपनी वही भाषाएं जारी रख सकते हैं। हालांकि, उन्हें इसके साथ एक भारतीय भाषा भी पढ़नी होगी। 2. **नए नियम में क्या बदलाव हुआ है?** जवाब: पहले कई छात्र अंग्रेजी के साथ एक भारतीय और एक विदेशी भाषा (जैसे फ्रेंच, जर्मन) पढ़ते थे। अब नियम कहता है कि तीन में से कम-से-कम दो भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। विदेशी भाषा तीसरी या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में ही ली जा सकेगी।

3. **याचिकाएं किसकी तरफ से लगाई गई थीं?** जवाब: याचिकाएं छात्र यशिका भंडारी, अमनदीप कौर और अर्पण राय चौधरी ने दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और गोपाल

शंकरनारायणन ने पैरवी की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जय्यामल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने सुनवाई की।

4. **याचिकाकर्ताओं की आपत्ति क्या है?** जवाब: नियम अचानक लागू कर दिया गया। कई भाषाओं की किताबें अभी उपलब्ध नहीं हैं। स्कूलों में संबंधित भाषाओं के शिक्षक नहीं हैं। इससे छात्रों और स्कूलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

5. **कोर्ट में किताबों को लेकर क्या दलील दी गई?** जवाब: सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि श्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने पर रोक लगनी चाहिए। सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि 22 भारतीय भाषाओं में से अभी केवल 3 भाषाओं की किताबें उपलब्ध हैं। ऐसे में बाकी भाषाओं में पढ़ाई कैसे शुरू होगी?

6. **शिक्षकों को लेकर क्या समस्या बताई गई?** जवाब: सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि अगर किसी स्कूल में नई भारतीय भाषा पढ़ानी होगी, तो उसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इतने कम समय में शिक्षक और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

7. **क्या विदेशी भाषा पूरी तरह बंद हो जाएगी?** जवाब: नहीं। छात्र फ्रेंच, जर्मन, जापानी जैसी विदेशी भाषाएं पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें दो भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी। विदेशी भाषा तीसरी या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में होगी।

कांग्रेस का पीएम को लेटर, कहा- सर्वदलीय बैठक बुलाएं:मानसून सत्र में चढ़ावा चोरी का मामला उठाएगी, संशोधन बिल का विरोध करेगी

नई दिल्ली। कांग्रेस मानसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का मुद्दा उठाएगी। इसके अलावा, सरकार के संशोधन बिलों का विरोध करेगी। यह फैसला गुरुवार को कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक यानी परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा। इसमें सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और जयराम रमेश समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

**रमेश ने कहा- महिलाओं के लिए
आरक्षण का प्रावधान लागू करें,
तो पूरा समर्थन देंगे**



जयराम रमेश ने कहा, संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार जिन प्रमुख विधेयकों को लाने की तैयारी कर रही है, उनका पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने आगे कहा- 'कई मुद्दे ऐसे हैं, जिन्हें हम विशेष रूप से उठाएंगे। जैसे वंदे की चोरी और विश्वासघात। प्रभु श्रीराम मंदिर के संबंध में रोज नए खुलासे हो रहे हैं।' हम अयोध्या में भाजपा और आरएसएस के रचे गए घोटाला मुद्दे जरूर उठाएंगे। नीट और ई20 घोटाला जैसे कई मुद्दे भी हैं, जिसमें कई वरिष्ठ भाजपा नेता और उनके बेटे शामिल हैं। हमने 16 और 17 अप्रैल को वर्तमान लोकसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण के संबंध में अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में महिलाओं के लिए इस एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान शामिल है।

चाहिए थी। यानी देश में अब तक 67.2 मिमी यानी 23% बारिश कम हुई है। वहीं, यूपी के 10 और बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हरदोई, लखनऊ,

राजस्थान में 15 हजार से ज्यादा महिलाओं की हाईरिस्क प्रेग्नेंसी स्वास्थ्य विभाग ने की दो दिन में एक लाख से अधिक गर्भवतियों के रिकॉर्ड की जांच

जयपुर। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दो दिन में ही एक लाख छह हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड की जांच की गई। इनमें से 15 हजार 504 महिलाओं को हाईरिस्क प्रेग्नेंसी श्रेणी में चिन्हित कर उनके मामलों की विशेष समीक्षा की गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवर के निर्देशन में चल रहे पांच दिवसीय अभियान का उद्देश्य ऐसी गर्भवती महिलाओं की पहचान करना है, जिन्हें प्रसव के दौरान अधिक खतरा हो सकता है। विभाग का फोकस इन महिलाओं की नियमित निगरानी, समय पर इलाज और सुरक्षित संस्थागत प्रसव करने पर है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री ए. राठौड़ ने बताया-



AI जनरेटेड



अभियान के दौरान 6 हजार 794 गर्भवती महिलाओं का रियल टाइम सत्यापन और साक्षात्कार कर यह भी परखा गया कि उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सही तरीके से मिल रहा है या नहीं। उन्होंने बताया- प्रदेशभर में 3 हजार 808 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण भी किया गया। जहां प्रसव पूर्व जांच , मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, रिकॉर्ड संधारण और उपचार व्यवस्था की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया। जिन स्थानों पर कमियां मिलीं, वहां तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

महिलाओं की मैपिंग-ट्रैकिंग की जा रही
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार

अभियान के तहत हाईरिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं की अलग से मैपिंग और ट्रैकिंग की जा रही है। विशेष रूप से गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में पहुंच चुकी महिलाओं की संभावित प्रसव तिथि, स्वास्थ्य स्थिति और जरूरत पड़ने पर रेफरल की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जा रही है, ताकि प्रसव के समय किसी भी तरह की जटिलता से बचा जा सके। सभी निरीक्षणों और समीक्षा का विवरण उसी दिन सुपरविजन पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। जिला, ब्लॉक और सेक्टर स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, ताकि किसी भी हाईरिस्क गर्भवती महिला को समय पर उपचार और सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिल सके।

सब्जी का ठेला लगाकर जयपुर में कलाकारों ने बेचा पेपर!

सोनम वांगचुक के समर्थन में बुलंद की आवाज, लाइव पेंटिंग से दिया संदेश



जयपुर। जयपुर में गुरुवार को कलाकारों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में अनांखा प्रदर्शन किया। मालवीय नगर स्थित करी लीफ कैफे में आयोजित रंगों से समर्थन लाइव पेंटिंग सेशन में 25 से अधिक कलाकारों ने कैनवास और पेपर पर चित्र बनाकर सोनम वांगचुक के आंदोलन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान कलाकारों ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को अपनी कलाकृतियों के केंद्र में रखा। कार्यक्रम में हर कलाकार ने अपने अलग अंदाज में सोनम वांगचुक के व्यक्तित्व, उनके संघर्ष और शिक्षा सुधार की मांग को चित्रों में उकेरा। किसी ने उन्हें युवाओं की उम्मीद के रूप में दर्शाया तो किसी ने बेहतर शिक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता की मांग को प्रतीकात्मक रूप से रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में युवा, कला प्रेमी और सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग पहुंचे और कलाकारों के कार्यों को करीब से देखा।

कलाकार में आलू, प्याज की तरह पेपर बिकते हुए दिखाया

कार्यक्रम का सबसे चर्चित एक कलाकार की व्यांगत्मक प्रस्तुति रही। कलाकार ने सब्जी विक्रेता का रूप धारण कर आलू, टमाटर, मिर्च और प्याज के साथ सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर बेचने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। हाथ में माइक लेकर विभिन्न सरकारी भर्तियों के नाम पुकारते हुए पेपर की बोली लगाती नजर आई। इस अनोखी प्रस्तुति के माध्यम से कलाकार ने राज्य में सामने आए पेपर लीक प्रकरणों और भ्रष्टाचार पर तीखा कटाक्ष किया, जिसे देखने वालों ने खूब सराहा। कई कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स में भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और युवाओं के भविष्य को केंद्र में रखा। चित्रों के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि यदि शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी नहीं होगी तो लाखों युवाओं के सपने प्रभावित होंगे। कलाकारों का मानना था कि कला केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद स्थापित करने का सशक्त जरिया भी है। आयोजक दिनीता ने बताया- इस आयोजन का उद्देश्य सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण आंदोलन और शिक्षा सुधार की मांग के प्रति एकजुटता व्यक्त करना है। सोनम वांगचुक लगातार पेपर लीक जैसे मामलों में जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठा रहे हैं। उनके समर्थन में कलाकारों ने यह तय किया कि वे रंगों के माध्यम से उनकी आवाज को समाज तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और ऐसे समय में समाज के हर वर्ग को अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। कलाकारों ने भी अपनी कला को आंदोलन का माध्यम बनाते हुए यह संदेश दिया कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर पूरे समाज को साथ आना होगा।

फर्जी ट्रेडिंग के नाम पर 50 करोड़ की साइबर ठगी

हरियाणा से कंपनी के दो डायरेक्टर गिरफ्तार, व्हाट्सएप-टेलीग्राम से चल रहा था नेटवर्क

जयपुर। फर्जी ट्रेडिंग और IPO में निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का स्टेट क्राइम थाना पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले में गुरुवार को आरोपी देवेंद्र शर्मा और निखिल लुथरा को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। दोनों टेरापल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है और मूल रूप से नजफगढ़ (दिल्ली) के निवासी हैं। जांच में सामने आया कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम रूप के जरिए लोगों को निवेश के लिए फंसाया जाता था। गिरोह ने जयपुर के एक डॉक्टर से 61.77 लाख रुपए की ठगी की, जबकि देशभर में इस नेटवर्क के खिलाफ 250 से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। दोनों आरोपी फर्जी कंपनी के जरिए साइबर ठगी की रकम विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर रहे थे। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह ने बताया कि महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हुई कार्रवाई हुई।

हाईकोर्ट बोला- 5 दिन में पंचायत-निकाय चुनाव की तारीख बताएं

राज्य चुनाव आयुक्त से कहा- आप क्यों चाहते हैं कि हम अवमानना की कार्रवाई शुरू करें

जयपुर। प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि 5 दिन में (सोमवार तक) चुनाव की तारीख बताएं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सोमवार तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट देने की तारीख और राज्य सरकार लॉटरी निकालने की तारीख बताएं। सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव मौजूद रहे। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त से कहा- आप क्यों चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करें। इस पर चुनाव आयुक्त ने कहा- हमारी तैयारी पूरी है। हमें सरकार ने आरक्षण का वर्गीकरण करके नहीं दिया है। अगर सरकार हमें लॉटरी निकालकर दे देती है तो हम 2 दिन में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देंगे। वहीं ओबीसी आयोग को लेकर कोर्ट ने कहा- जब 9 मई 2025 को सरकार ने 3 महीने के लिए आयोग का गठन किया था तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दी। अगर आपसे काम नहीं



50 लाख में स्कूल लेक्चरर का पेपर खरीदने वाला गिरफ्तार:एक अभ्यर्थी से 7 लाख लेकर पेपर पढ़ाया; सीनियर टीचर का पेपर 29 अभ्यर्थियों तक पहुंचाया

जयपुर। स्कूल व्याख्याता (कृषि विज्ञान) भर्ती परीक्षा-2022 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने विनोद कुमार जाट उर्फ विनोद रेवाड़ (45) को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लीक पेपर खरीदकर अभ्यर्थियों को पढ़ाया था। साथ ही सरकारी नौकरी दिलवाई थी। आरोपी को एसओजी ने गुरुवार को चौमूं से गिरफ्तार किया है। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया- एसओजी थाने में दर्ज केस की जांच में सामने आया था कि पेपर लीक गिरोह के सरगना अनिल कुमार मीणा उर्फ शेर सिंह ने तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से करीब 60 लाख रुपए में प्रश्नपत्र हासिल किए थे। इसके बाद कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों तक पहुंचाए गए।

50 लाख में खरीदा पेपर, 7 लाख लेकर कराया चयन

जांच में खुलासा हुआ कि विनोद रेवाड़ ने करीब 50 लाख रुपए में चार सब्जेक्ट के सॉल्व प्रश्नपत्र खरीदे। इसके बाद कृषि विज्ञान विषय के अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव को 7 लाख रुपए में प्रश्नपत्र पढ़ाया। परिणामस्वरूप अशोक कुमार यादव का चयन स्कूल व्याख्याता (कृषि विज्ञान) के पद पर हुआ।

वो वर्तमान में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (देवराला) में कार्यरत था।

50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित
उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले

में उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। इस मामले में उसने आठ अभ्यर्थियों से करीब 10-10 लाख रुपए लेकर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया था। आरोपी को साल 2025 में ओडिशा से गिरफ्तार किया गया था।

29 अभ्यर्थियों से वसूले 57 लाख रुपए

वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती परीक्षा-2022 के मामले में भी जांच में सामने आया कि विनोद रेवाड़ ने 29 अभ्यर्थियों से करीब 57 लाख रुपए लेकर उन्हें परीक्षा से पहले लीक प्रश्नपत्र पढ़ाया। इस मामले में आरोपी अरुण शर्मा उर्फ राजेश शर्मा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

डोटासरा बोले-शिक्षा मंत्री के करीबी तबादलों में पैसा वसूल रहे

वसुंधरा दुखी आत्मा उन्होंने सही बातें कहीं, बेनीवाल पर राजनीतिक रजिश निकालने मुकदमे करना गलत

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री के करीबी तबादलों के नाम पर पैसे की वसूली कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो बातें कही हैं, वे सही हैं। डोटासरा ने बेनीवाल समर्थकों पर मुकदमे दर्ज करने के तरीके पर भी सवाल उठाते हुए इसे गलत बताया और सरकार से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। डोटासरा जयपुर में कांग्रेस ओबीसी विभाग के सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

डोटासरा ने शिक्षा विभाग में हुए तबादलों में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

डोटासरा ने शिक्षा विभाग में हुए तबादलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा- तबादलों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। शिक्षा ?विभाग का हाल सबसे खराब है, शिक्षा मंत्री के नजदीकी लोग तबादलों में जमकर वसूली में लगे हैं। शिक्षक तबादलों में जमकर पैसा लिया गया है। सरकार में हिम्मत है तो शिक्षा मंत्री के पीए, पीएसओ के नजदीक रहने वालों के फोन टैप करवाकर देख लीजिए पता लग जाएगा।



डोटासरा ने कहा- शिक्षा मंत्री के दलाल बने हुए हैं, वे ट्रांसफर में लूट रहे हैं। स्कूल बर्बाद हो रही हैं। तबादला उद्योग में आरएसएस तांडव नृत्य कर रहा है। पैसे ले लेकर भ्रष्टाचार चल रहा है इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। समसा में इंटरव्यू की पोस्टों में पैसा लेकर पोस्टिंग दी जा रही है। मंत्री के इर्द गिर्द के लोग खुलेआम पैसे ले रहे हैं। भ्रष्टाचार का खुला नाच हो रहा है,कोई सुनने पछने वाला नहीं है। बीजेपी के विधायक तक रो रहे हैं।

वसुंधरा राजे दुखी आत्मा, उन्होंने

ने कल अच्छी बातें कहीं

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के राजनीति से सामाफि रिश्तों को अलग रखने के बयान पर डोटासरा ने कहा- वसुंधराजी दुखी आत्मा हैं, दुखी आत्मा से जो निकलता है, वो सच निकलता है। कल उन्होंने राजेंद्र राठौड़ और सीएम की तरफ देखा, उनकी क्या बात चुभ गई? उनके खिलाफ कौन षडयंत्र कर रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे ने कल जो कहा वे अच्छी बातें हैं।

हमें राजनीति में इतना भी वैर भाव नहीं रखना चाहिए कि हम आंख भी नहीं मिला सकें।

मेरे परिवार और रिश्तेदार कर्मचारियों का बांसावाड़ा-बाड़मेर किया ट्रांसफर

डोटासरा ने कहा- पूर्व विधायक पंडित रामकिशन शर्मा ने भी कल सही कहा कि पहले विरोध में बोलकर भी साथ बैठकर चाय पीते थे, लेकिन

आजकल तो एक्सीडेंट करवा दें। आजकल तो मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मेरे सभी पहचान वालों और रिश्तेदारों तक सबके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तबादलों से मैं झुकने वाला नहीं हू। 2028 में इनका नाम लेने वाला बच जाए तो मुझे बता देना।

बेनीवाल के लोगों के खिलाफ रजिश निकालने दर्ज किए जा रहे मुकदमे

डोटासरा ने कहा- विपक्ष की आवाज को आप दबाना चाहते हैं। विपक्ष के लोगों को परेशान करो,उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दो, बताइए यह कौनसा तरीका है? आज हनुमान बेनीवाल और उनके लोगों पर कितने मुकदमे दर्ज करवा दिए? बेनीवाल मेरे लिए अच्छा बोले ला बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनीवाल ने दो साल पहले भी कहीं आंदोलन किया तो दो साल बाद भी आज उनके खिलाफ और उनके लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अगर बेनीवान का नाम लिखा हुआ गाड़ी पर मिल गया तो उनको भी अंदर डाल दो, यह कौन सी राजनीति है ? इनको पता है कि कांग्रेस पार्टी बदले की राजनीति नहीं करती इसका ये नाजायज फायदा उठाते हैं।

हर्षोल्लास से निकली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा, मंगला आरती में परिवार के साथ पहुंचे अमित शाह

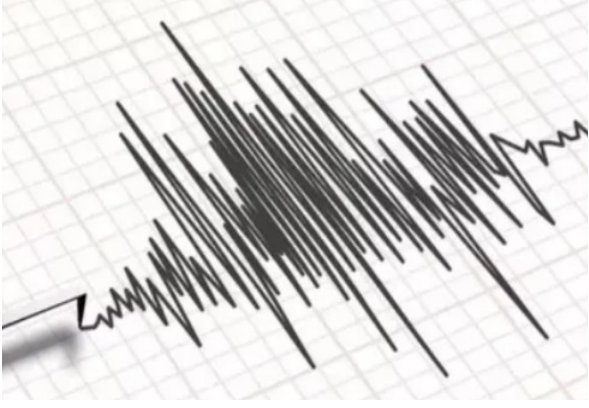
अहमदाबाद में 149वीं भगवान जगन्नाथ रथयात्रा का आयोजन

अमित शाह सपरिवार मंगला आरती में हुए शामिल

मुख्यमंत्री पटेल ने की पहिंद विधि, हाईटेक सुरक्षा

अहमदाबाद। अहमदाबाद के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं रथयात्रा हर्ष व उल्लास के साथ निकाली गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सपरिवार जगन्नाथ जी मंदिर की मंगला आरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रथों के आगे सोने की झाड़ू से बृहारकर पहिंद विधि की। इसके बाद परंपरागत तरीके से रथयात्रा निजमंदिर से प्रारंभ हुई। हाईटेक सुरक्षा के बीच इस बार गजराज की हलचल पर नजर रखने के लिए जायरोस्कोप सिसटम भी लगाया गया था। मुख्यमंत्री ने खुद गांधीनगर में सीएम डैशबोर्ड से रथयात्रा की रियल टाइम मॉनिटरिंग की। भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकलें उससे पहले निज मंदिर पर मंगला आरती की गई। केंद्रीय मंत्री शाह, पत्नी सोनल बेन शाह के साथ मंगला आरती में शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री हर्ष संधवी, महापौर हितेश बारोट, रेडक्रॉस गुजरात के अध्यक्ष अजय पटेल भी इस मौके पर उनके साथ रहे। अमित शाह ने मंगला आरती व पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ से गुजरात व देश में सुख, शांति एवं सम्रद्धी की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान के रथों के आगे सोने की झाड़ू से बृहारकर पहिंद विधि की परंपरा को निभाया। इसके बाद रथों को

गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, दहशत में लोग घरों से बाहर निकलकर भागे



अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ में सिर्फ़ दो मिनट के गैप पर भूकंप के दो झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि इस भूकंप में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए, जिससे दहशत का माहौल बन गया। कच्छ के खावाड़ा इलाके में आज दोपहर 2२0 बजे पहला भूकंप महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 थी। भूकंप का सेंटर खावाड़ा से 32 चद्र दूर दर्ज किया गया। आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। पहले भूकंप के दो मिनट बाद, सुबह 2२2 बजे, कच्छ के धोलावीरा के पास दूसरा भूकंप महसूस किया गया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई। इसका सेंटर धोलावीरा से 32 किमी. दूर था। गौरतलब है कि सिस्मिक जोन-5 में शामिल कच्छ जिले में लगातार भूकंप आते रहते हैं। गांधीनगर के सीस्मोलॉजिकल ऑफिस के डेटा के मुताबिक, 22 अप्रैल, 2025 को रात 11:२6 बजे 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप महसूस किया गया, जिसका सेंटर कच्छ के दुधई से 17 चद्र उत्तर-उत्तर-पश्चिम में था। इस झटके का असर पूरे कच्छ जिले में महसूस किया गया। इस वजह से, रात में चैन से सो रहे लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर भाग गए।

सूरत: नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से दुष्कर्म का आरोपी वकील गिरफ्तार



अहमदाबाद। सूरत में पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में उसके वकील को गिरफ्तार किया है। आरोपी वकील नाबालिग पीड़िता के पिता को धमकी देकर घर के काम कराने के लिए पीड़िता को अपने साथ ले गया था। घर ले जाकर उसे कोर्ट में चल रहे केस को बिगाड़ देने की धमकी दी तथा उसके साथ घिनौना काम कर उसका वीडियो बना लिया। वकील के चंगुल से निकलने के बाद पीड़िता ने पिता को इसकी जानकारी दी जिसके बाद वकील के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। सूरत के सचिन जीआईडीसी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि वकील प्रणयराज रणवीर ने कोर्ट में नाबालिग पुत्री के दुष्कर्म को केस को बिगाड़ने की धमकी देकर पीड़िता को अपने घर पर काम कराने के लिए ले गया था। घर ले जाकर वकील ने इस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया तथा उसका वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देने लगा। वकील के चंगुल से निकलने के बाद पीड़िता ने इसके बारे में पिता को बताया। सहायक पुलिस आयुक्त ए सी तराडे ने बताया कि सितंबर 2025 को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में कोर्ट में आरोपी वकील इस पीड़िता का वकील था, गत रविवार को पीड़िता को वह अपने साथ ले गया और उसे धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस नाबालिग को बंधक बनाकर रखने का प्रयास किया लेकिन वह इसके चंगुल से बच निकली। पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी वकील आदतन अपराधी है उसके खिलाफ करीब आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं।



निज मंदिर से बाहर लाया गया। भारी जापते व हाईटेक सुरक्षा के बीच यह रथयात्रा निकाली गई, पिछली रथयात्रा में तीन हाथियों के बिगड़ जाने से अफरातफरी का माहौल हो गया था, इसलिए इस बार सभी 16 गजराज की हलचल पर नजर रखने के लिए उन पर सीसीटीवी, डेसीबल मीटर, जायरोस्कोप लगाये गये ताकि उनकी हर हरकत और व्यवहार पर नजर रखी जा सके। रथयात्रा की सुरक्षा में करीब सवा सौ आईपीएस तथा 30 हजार पुलिस अधिकारी व जवान जुटे थे। 16 किलोमीटर से अधिक के रूट पर हजारों सीसीटीवी, रथयात्रा में शामिल सौ से अधिक ट्रक व अन्य वाहनों पर जीपीएस सिस्टम के अलावा लगातार ड्रॉन से निगरानी की गई। उधर गांधीनगर में मुख्यमंत्री ने सीएम डैशबोर्ड से रथयात्रा की रियल टाइम मॉनिटरिंग की। रथयात्रा के दौरान संवेदनीशल क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जमालपुर, शाहपुर, तंबू चौकी पर पुलिस, एसआरपी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकडियां तैनात की गई। जमालपुर व शाहपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रथयात्रा का स्वागत किया, जमालपुर में मुस्लिम युवकों ने रथयात्रा पर फूल बरसा कर स्वागत किया।

सिर्फ पैक्ड ही नहीं, स्ट्रीट फूड पर भी FSSAI की नजर... लॉन्च किया नया फूड सेफ्टी एप



अहमदाबाद। भारत के खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्राधिकरण एफएसएसआई ने कहा है कि देश में पैक फूड के साथ स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। संस्था ने खाद्य पदार्थों के उत्पादक, वितरक, लैब, फूड सुरक्षा से जुड़ी संस्थाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए फूड सेफ्टी ऐप भी लॉन्च किया है। संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित पुनहानी ने कहा है कि देश में कुछ पेय, एनर्जी ड्रिंक की लेबलिंग से बेचे जा रहे थे जो गुमराह करने वाले विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। भारतीय उद्योग परिषद एवं खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्राधिकरण की ओर से स्टेट कनेक्ट अभियान 2026 के तहत अहमदाबाद में खाद्य उत्पादक, निरीक्षक, वितरक, लैब संचालक एवं होटल- रेस्टोरेंट मालिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट कहा



है कि देश में बेचे जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले होने चाहिए सभी स्टेक होल्डर को एक मंच पर लाने के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट नाम से एक ऐप तैयार किया गया है। स्ट्रीट फूड संचालकों को भी अब एफएसएसआई का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर दीवानी एवं फौजदारी केस के अलावा जुर्माना का भी प्रावधान है। WhatsApp Image 2026-07-16 at 5.52.42 PMप्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि किसी भी तरह के फूड व खाद्य पदार्थ के लिए गुमराह करने वाले विज्ञापन स्वीकार्य नहीं है। हाल ही राजस्थान सरकार की ओर से करीब आधा दर्जन एनर्जी ड्रिंक ब्रांड पर रोक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पेय पदार्थ में कोई खोट नहीं है लेकिन उसकी लेबलिंग को लेकर आपत्ति है। देश में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बिक रहे पेय

पदार्थ एनर्जी ड्रिंक नहीं है क्योंकि यह मात्र पेय पदार्थ हैं, एनर्जी का अर्थ ऐसे भोजन से है जो आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन की भरपाई करता हो और कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं करता है। ध्यान रहे की राजस्थान सरकार ने हाल ही स्टिंग, केम्पा जैसे आधा दर्जन ब्रांड पर एनर्जी ड्रिंक के लेबल पर आपत्ति जताते हुऐ उन पर रोक लगाई थी। प्राधिकरण न कहा है कि खाद्य एवं पर पदार्थ के उत्पादन एवं मार्केटिंग में पारदर्शिता बढ़ती जानी चाहिए उत्पाद पर की गई लेबलिंग में बैच, एक्सपायरी डेट तथा उसमें प्रयुक्त पदार्थ के बारे में स्पष्ट सूचना दी जानी चाहिए। मुन्हानि ने कहा कि वर्तमान में देश के खाद्य उत्पादक एवं निर्यातकों के समक्ष ई-कॉमर्स एवं निर्यात का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए संस्थाओं को प्रमाणीकरण एवं डिजिटल तकनीक से सुसज्जित बनना पड़ेगा।

महिला को भेजे गए इनकम टैक्स नोटिस को गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द किया, पांच साल पहले हो चुकी थी मौत

गुजरात हाई कोर्ट ने मृत महिला के इनकम टैक्स नोटिस को रद्द किया

मृत महिला को मृत्यु के पांच साल बाद भेजा गया नोटिस

हाई कोर्ट ने विभाग के पुनर्मूल्यांकन के प्रयास को गलत ठहराया

अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस कोशिश को रोक दिया है जिसमें वो एक ऐसी महिला के मूल्यांकन को फिर से शुरू करना चाहता था जिसकी मौत डिमांड नोटिस मिलने से पांच साल पहले ही हो चुकी थी। जस्टिस ए.एस. सुप्रेमिया और वी.डी. नानावटी की बेंच ने एक महिला द्वारा किए गए जमीन के सौदे पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की गणना के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा किए गए दोबारा मूल्यांकन को रद्द कर दिया। हालांकि, बेंच ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया कि अगर परिवार के सदस्य नोटिस का जवाब देते हैं तो क्या किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ टैक्स को कार्यवाही जारी रह सकती है।

क्या है पूरा मामला?
नानी दमन के भीमपोर गांव की रहने वाली पद्मबाबेन त्रिवेदी ने 2009 में एक कंपनी को 13.626 वर्ग मीटर जमीन 92.6 लाख रुपये में बेची थी। एक



रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने 1981 की दर (81 रुपये प्रति वर्ग मीटर) के आधार पर इसकी सही बाजार कीमत तय की थी, जिसके हिसाब से उस समय जमीन की कुल कीमत 11 लाख रुपये थी। पद्मबाबेन ने 2010-11 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय जमीन की बिक्री से हुई लंबे समय में हुई पूंजीगत

कमाई के तौर पर 22.9 लाख रुपये दिखाए थे। मई 2012 में उनका निधन हो गया। 30 मार्च 2017 को इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 148 के तहत मूल्यांकन को फिर से खोलने का नोटिस जारी किया। यह 2010-11 में भरे गए रिटर्न को फिर से खोलने की समय-सीमा का आखिरी दिन था।

आंकड़े को किया गया रिवर्स-इंडेक्स

विभाग का तर्क था कि 1981 की वैल्यू ज्यादा बताई गई थी। सब-रजिस्ट्रार ऑफिस से मिली 1982 की बिक्री के एक मामले के आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने उस आंकड़े को रिवर्स-इंडेक्स किया और 1981 के लिए लगभग 1 रुपये

प्रति वर्ग मीटर की अनुमानित दर निकाली। इसके आधार पर उन्होंने दावा किया कि इस सौदे से हुआ लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन 69.6 लाख रुपये था। **परिवार ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा**
जुलाई 2017 में पद्मबाबेन के परिवार वालों ने असेसमेंट दोबारा शुरू करने के नोटिस का जवाब दिया और इनकम टैक्स विभाग से उनकी ओर से पहले फाइल किए गए इनकम रिटर्न पर विचार करने का अनुरोध किया। उसी साल उनके परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक मृत व्यक्ति को असेसमेंट दोबारा शुरू करने का नोटिस भेजने की वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह नोटिस एक ऐसे कानूनी प्रावधान पर आधारित था जो 2012 से पहले के असेसमेंट पर लागू नहीं होता था।

भाजपा सरकार संविधान की रक्षक,नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध:— मदन राठौड़

महात्मा गांधी ने भी आरएसएस में सामाजिक समरसता के वातावरण की सराहना की थी, डोटासरा चाहे तो जा सकते हैं आरएसएस में— मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करती है और न्यायालय के प्रत्येक आदेश की नियमानुसार पालना करेगी। पार्टी कभी भी कोर्ट की अवमानना नहीं करेगी तथा निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होते ही भाजपा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। राठौड़ ने कहा कि भाजपा पर चुनाव से भागने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन दोनों चुनावों के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। निकाय चुनावों के संबंध में राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वाडों का गठन अव्यवस्थित तरीके से किया था, जिसे वर्तमान सरकार ने व्यवस्थित किया है। ओबीसी आरक्षण से जुड़े विषय पर आयोग की प्रक्रिया में कुछ तकनीकी



अड़चनें आई हैं, जिनका शीघ्र समाधान होगा। भाजपा न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करते हुए सभी प्रक्रियाओं का पालन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर

प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो व्यक्ति जैसा होता है, वह दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचता है। भाजपा सरकार में स्थानांतरण सहित सभी कार्य पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार के लेन-देन का प्रश्न ही नहीं है। जरूरतमंद लोगों के कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं तथा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। डोटासरा सोच रहे हैं कि उनकी सरकार में शिक्षकों के तबादलों में रुपयों को लेनदेन होता था तो भाजपा सरकार में भी होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, भाजपा सरकार में सभी कार्य पारदर्शिता के साथ किए जाते हैं, लोगों की प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। आपातकाल संबंधी कांग्रेस के आरोपों पर राठौड़ ने कहा कि देश ने वास्तविक आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में देखा था, जब नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन हुआ, लोगों को जेलों में बंद किया गया और जबरन नसबंदी जैसे

कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार संविधान, कानून के शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत है और विकास कार्य गति से आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में राठौड़ ने कहा कि आरएसएस एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रचरित्र से युक्त नागरिकों का निर्माण करना है। भाजपा एक राजनीतिक संगठन है, जबकि आरएसएस समाज निर्माण, राष्ट्रभक्ति युक्त व्यक्ति का निर्माण का कार्य करता है। आरएसएस के बारे में बिना जानकारी के टिप्पणी करना उचित नहीं है। महात्मा गांधी भी आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे और वहां सामाजिक समरसता के वातावरण की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी एवं निष्कलंक संगठन है।

